झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या-01

चतुर्थ (विशेष) सत्र
बुधवार, दिनांक-11 नवम्बर, 2020ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.40 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. प्रारम्भिक वक्तव्य:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के चतुर्थ (विशेष) सत्र के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने देश-विदेश के राजनीतिक पटल पर हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जो वाईडेन तथा भारतीय मूल की उप राष्ट्रपति, श्रीमती कमला हैरिस से उम्मीदें जतायी। अपने वक्तव्य के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कोरोना के संक्रमण काल में बिहार में हुए चुनाव तथा झारखण्ड के दुमका एवं बेरमो विधान सभा में हुए उप चुनावों से सदन को अवगत कराया गया तदुपरांत आज जिस उद्देश्य को लेकर सदन आहूत किया गया है उसके सम्बन्ध में भी विस्तार से सदन को अवगत कराया।

2.सभापति तालिका की घोषणा:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के चतुर्थ (विशेष) सत्र के निमित्त निम्नांकित माननीय सदस्यों को सभापति मनोनीत किया गया-

श्री स्टीफन मराण्डी	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स०वि०स०
डॉ सरफराज अहमद	स०वि०स०
श्रीमती सीता मुर्मू	स०वि०स० एवं
श्री अनन्त कुमार ओझा	स०वि०स०।

3. कार्य-मंत्रणा समिति का गठन:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-224(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के चतुर्थ (विशेष) सत्र के निमित्त कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया-

श्री रबीन्द्रनाथ महतो	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री आलमगीर आलम	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
श्री सत्यानन्द भोक्ता	मंत्री	सदस्य
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
श्री सुदेश कुमार महतो	स०वि०स०	सदस्य
श्री सरयू राय	स०वि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चम्पाई सोरेन	मंत्री
डॉ० रामेश्वर उराँव	मंत्री
श्री स्टीफन मराण्डी	स०वि०स०
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल)
श्री लोबिन हेम्ब्रम	स०वि०स०
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	स०वि०स०
श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	स०वि०स०
श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स०वि०स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

4. औपचारिक कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है-

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी:-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम की संख्या
01	झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020	09.10.2020	04/2020
02	झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020	14.10.2020	05/2020

5. राजकीय संकल्प:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया-

''चूँकि झारखण्ड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाली है। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परम्पराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं। प्राचीनतम् सरना धर्म का जीता-जागता ग्रन्थ जल, जंगल, जमीन एवं प्रकृति है। सरना धर्म की संस्कृति पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यतायें प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी पेड़ों, पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिन्तित है, वैसे समय में जिस धर्म की आत्मा ही प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा है उसको मान्यता मिलने से भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा।

आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिये जनगणना कोड में प्रकृति पूजक सरना धर्मावलम्बियों को शामिल करने की माँग को लेकर संघर्षरत है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारम्परिक धार्मिक अस्तित्व के रक्षा की चिन्ता निश्चित तौर पर एक गम्भीर सवाल है। आज सरना धर्म कोड की माँग इसलिए उठ रही है कि प्रकृति आदिवासी सरना धर्मावलम्बी अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। यह एक मुहिम है आदिवासी सरना धर्मावलम्बियों की घटती हुई जनसंख्या एक गम्भीर सवाल है।

जनगणना 2001 के बाद जब आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत फिर एक बार कम हुआ तो यही प्रतिक्रिया सामने आयी कि आखिरकार आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी क्यों हो रही है और कैसे? पिछले आठ दशकों के जनगणना के आकलन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार कम हुआ। आजादी के बाद से देश में उत्पन्न बड़ी समस्याओं में बढ़ती जनसंख्या देश के सामने बड़ी चुनौती है।

सन् 1931 से 2011 के आदिवासी जनसंख्या के क्रमिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घट कर सन् 2011 में 26.02 प्रतिशत हो गया। इन आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से 12 प्रतिशत की कमी आई है जो एक गम्भीर सवाल है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष झारखण्ड की कुल आबादी में वृद्धि दर अन्य समुदायों की वृद्धि दर से अत्यंत कम है। सन् 1931 से 1941 के बीच जहाँ आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 13.76 है। वहीं गैर आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 11.13 है। सन् 1951 से 1961 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 12.71 प्रतिशत है वहीं अन्य समुदायों की वृद्धि दर 23.62 प्रतिशत है। क्रमशः सन् 1961 से 1971 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत है, वहीं अन्य समुदाय के जनसंख्या की वृद्धि दर 26.01 प्रतिशत है। सन् 1971 से 1981 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 16.77 प्रतिशत है जबकि अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 27.11 प्रतिशत है। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 13.41 है वहीं तुलनात्मक रूप गैर आदिवासी की वृद्धि दर 28.67 प्रतिशत है। 1991 से 2001 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर 25.65 प्रतिशत है।

इस जनसंख्या में कमी का प्रमुख कारण यह भी है कि जनगणना की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना का कार्य 09 फरवरी तथा 28 फरवरी के बीच किय जाता है। विडम्बना यह है कि झारखण्ड में यह समय लीन पीरियड अथवा खाली समय होता है, जब आदिवासी अपने फसल के कार्यों से मुक्त होकर वर्ष के बाकी महीनों की आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करने जाते हैं। स्पष्ट है कि जनगणना में ऐसे लोगों की गणना अपने-अपने गाँवों मे नहीं हो पाती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो लोग जनगणना के वक्त अपने क्षेत्रों में नहीं होते उनकी गणना उस समय में रहने की जगह में हो जाती है। परन्तु, सवाल सिर्फ गणना का नहीं है। सवाल है कि वैसे आदिवासियों की गणना जो प्रदेश से बाहर होते हैं आदिवासी के रूप में न होकर सामान्य जाति के रूप में कर दी जाती है।

आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट के कारण संविधान के विशेषाधिकारों के तहत पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित विस्तार अधिनियम) 40/1996 की धारा 4 (ड) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों के विभिन्न पदों पर आदिवासियों के लिए आरक्षित किये जाने का आधार जनसंख्या को ही माना गया है। गत कई वर्षों के पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में से ऐसे जिलों को हटाने की माँग की जा रही है जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आयी हैं।

इस प्रकार जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिए दिये जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन धर्मावलम्बियों से अलग सरना अथवा प्रकृति पूजक आदिवासियों की पहचान के लिये तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये अलग सरना कोड अत्यावश्यक है।

अगर सरना कोड मिल जाता है तो इसका दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

-प्रथम तो यह कि सरना धर्मावलम्बी आदिवासियों की गिनती स्पष्ट रूप से जनगणना के माध्यम से हो सकेगी।

-आदिवासियों की जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा।

-आदिवासियों को मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों (पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों, ट्राईबल सबप्लान के तहत मिलने वाले अधिकारों, विशेष केन्द्रीय सहायता के लाभ तथा भूमि के पारम्परिक अधिकारों) का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

-आदिवासियों की भाषा संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन होगा।

अत: सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिये अत्यावश्यक है।

2. चूँकि यह भी कि सन् 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, लेकिन वर्ष 1961-62 के जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया। वर्ष-2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग पचास (50) लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा।

3. चूँकि यह भी कि झारखण्ड में सरना धर्म को मानने वाले लोग वर्षों से सरना धर्म कोड लागू करने के लिये आन्दोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने हेतु वर्त्तमान एवं पूर्व सदस्य, झारखण्ड विधान सभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन/आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है।

अतएव आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी/सरना धर्म कोड का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या-4242, दिनांक-03.11.2020 पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सभा की सहमति हो।''

इसके बाद आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, सर्वश्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, बंधु तिर्की, दीपक बिरूवा, लम्बोदर महतो एवं श्री विनोद कुमार सिंह ने चर्चा में भाग लिया। इस क्रम में माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं माननीय सदस्या, श्रीमती ममता देवी द्वारा कुरमाली के लिए भी कोड की माँग की गयी तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उक्त राजकीय संकल्प के औचित्य पर प्रकाश डाला गया। इसके उपरांत संशोधन के साथ (सरना आदिवासी धर्म कोड के रूप में)उक्त संकल्प सर्वसम्मति से सभा द्वारा पारित हुआ।

(इस अवसर पर सभा की सहमति से शोक प्रकाश सम्पन्न होने तक सदन का समय विस्तारित किया गया।)

6. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर क्षेत्र संख्या-10, दुमका विधान सभा से नवनिर्वाचित माननीय सदस्य, श्री बसंत सोरेन एवं क्षेत्र संख्या-35, बेरमो विधान सभा से नवनिर्वाचित माननीय सदस्य, श्री कुमार जयमंगल सिंह द्वारा बारी-बारी से हिन्दी में शपथ-ग्रहण किया गया।

7. शोक प्रकाश:-

विगत सत्र सेअब तक की अवधि में कई महत्त्वपूर्ण राजनेता एवं समाजसेवी झारखण्ड सरकार के मंत्री, स्व० हाजी हुसैन अंसारी, केन्द्रीय मंत्री, रामविलास पासवान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, केशुभाई पटेल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सतीश प्रसाद सिंह, छऊ नृत्य के गुरू श्यामाचरणपति, स्वतंत्रता सेनानी अम्बर हांसदा, पश्चिम बंगाल विधान सभा के उपाध्यक्ष, सुकुमार हांसदा, पार्श्वगायक एस०पी० बालासुब्रमण्यम, संत ज़ेवियर कॉलेज राँची के पूर्व प्राचार्य, फादर लुईस फ्रेंकन, बिहार सरकार के मंत्री, कपिलदेव कामत एवं बिनोद कुमार सिंह, बिहार सरकार के पूर्व महाधिवक्ता, रामबालक महतो, वायलिन वादक, टी०एन० कृष्णन, झारखण्ड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव, सजल चक्रवर्ती, डिजायनर, भानू अथैया एवं चान्हो निवासी फौजी, अभिषेक साहू के निधन पर आसन द्वारा गहरी शोक-संवेदना व्यक्त की गयी तदुपरांत क्रमशः माननीय सदन नेता, मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, माननीय मंत्री, श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रदीप यादव, लम्बोदर महतो, विनोद कुमार सिंह, सत्यानन्द भोक्ता (मंत्री), सरयू राय,

अमित कुमार यादव एवं श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा भी शोक-संवेदनायें व्यक्त की गयी इसके उपरांत सदन में दो मिनट मौन का रखा गया।

8. आसन से सूचना:-

सभा परिसर में माननीय सदस्यों के निमित्त की गयी भोजन व्यवस्था में उन्हें सम्मिलित होने हेतु आसन द्वारा संसूचित किया गया तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी।

रांची,
दिनांक- 11 नवम्बर, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।